

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2013—श्रावण 3, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2013 ( श्रावण 3, शक 1935 )

क्र. 16349-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (5) के अनुसरण में सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन, जो दिनांक 25 जुलाई, 2013 के पत्रक भाग-दो में प्रख्यापित होने पर प्रभावशील हुए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 223-क के अधीन तृतीय अनुसूची के भाग-3 में सरल क्रमांक 44 एवं उसके सम्मुख अंकित शब्दावली के पश्चात् नवीन सरल क्रमांक 45, 46, 47 एवं 48 तथा उसके समक्ष निम्नानुसार शब्दावली जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

- “44 मध्यप्रदेश विक्रमादित्य नॉलेज सिटी (उज्जैन) लिमिटेड  
45 मध्यप्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड,  
46 मध्यप्रदेश जे.पी. कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड,  
47 दादा धुनी वाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड.”

राजकुमार पांडे  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.